आवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग 1

संख्या– 1132 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06

लखनऊ : दिनांक : 26 अप्रैल, 2011

समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के समस्त जनपदों में शासनादेश संख्या–4931 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06 दिनांक 03–12–2010 द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश में दिनांक 24–11–2011 से समेकित बाल संरक्षण योजना लागू हो चुकी है। इसी के साथ–साथ शासनादेश संख्या– 4930 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06 दिनांक 03–12–2010 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित पत्र के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रारम्भिक तैयारी के रूप में किए जाने वाले कार्यों से अवगत कराया गया था, जिसकी प्रति अनुपालन हेतु आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी।

2– शासनादेश संख्या– 4934 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06 दिनांक 03–12–2010 द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना में समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारियों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी के रूप में भी नामित किया जा चुका है तथा शासनादेश संख्या– 840 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06 दिनांक 14–03–2010 द्वारा जिला बाल संरक्षण समिति का गठन करते हुए यह अपेक्षा की गयी थी कि जिला बाल संरक्षण समिति की प्रथम बैठक कराकर नामित प्रतिष्ठित समाजसेवी का नामांकन, जनपद में जिला बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला योजना बनाने एवं अन्य आवश्यक महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जिला बाल संरक्षण समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए कार्यवाही की जाए।

3– राज्य बाल संरक्षण समिति की प्रथम बैठक की कार्यवृत्ति आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है जिसमें जिला बाल संरक्षण समिति के नाम से संयुक्त खाता खोलने एवं परिचालन के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाए। जनपदों में स्ट्रीट चिल्ड्रन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया जाए। देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित किया जाए तथा जनपद स्तर पर समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर आवश्यकता का आंकलन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तदनुसार अग्रतर प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जाए।

4– शासनादेश संख्या–4930 / 60–1–10–1 / 13(71) / 06 दिनांक 03–12–2010 के द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति के कार्यालय के लिए 2000 वर्गफुट का स्थान (वास्तविक व्यय के अधीन) बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड हेतु न्यूनतम दो–दो कमरे का 600 वर्गफुट का स्थान (वास्तविक व्यय के अधीन) ले लिया जाए और यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रयास यही रहे कि उपरोक्त संस्थाओं के लिए किराए के भवन लिए जाने हों तो एक ही

परिसर/भवन में तीनों ही कार्यालय खोले जाएं। किराये का भुगतान अलग-अलग मद से ह
संबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि समेकित बाल संरक्षण योजना में बाल
समिति/किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण समिति के कार्यालय हेतु भवन का चयन कर
निर्धारित दर एवं क्षेत्रफल के आधार पर चयनित भवन का जिला बाल संरक्षण समिति से अनुमोदन
कर गठित बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं जिला बाल संरक्षण समिति को यथ
क्रियाशील किया जाए।

5- शासनादेश संख्या- 119/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 21-02-2011 द्वारा आपसे अ
की गयी थी कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों
परिचय-पत्र निर्गत कर दिए जाये, परन्तु उक्त कार्य में अभी तक कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है।

उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए शासन द्वारा समस्त आवश्यक निर्देश समय-समय पर निर्गत कि
जा चुके हैं, साथ ही साथ मासिक समीक्षा बैठकों में भी उक्त आशय से बार-बार स्मरण कराया
चुका है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निर्गत समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित क
हुए अद्यतन स्थिति से 15 दिन के अंदर कार्यालय राज्य बाल संरक्षण समिति को अवगत करायें।

बलविन्दर कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1132(1)/60-1-10-1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति, उ0प्र0, लखनऊ
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

भवनाथ
विशेष सचिव।

निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।

संख्या- (ii)-29/मि0म0क0/प्रो0/आई0सी0पी0एस0/2011-12, लखनऊ : दिनांक 29 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर समयान्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अवगत करायें।

(बिहारी स्वरूप)
निदेशक

8.4.11